

बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश



एडवोकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र

एडवोकेट्स अधिनियम, १९६१ की

धारा २२ (१) के अंतर्गत प्रदत्त

क्रमांक उत्तर प्रदेश ६५८५ सन् २००२

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/कुमारी/श्रीमती विनीत कुमार
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री राम गोपाल वर्मा
 जिला फतेहपुर आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के
 अन्तर्गत एडवोकेट स्वीकृत किए गए तथा उनका नाम एडवोकेट्स अधिनियम,
 १९६१ की धारा १७ के अधीन बार कौंसिल द्वारा अनुरक्षित एडवोकेट पंजिका में
 अंकित कर लिया गया।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक १६ अक्टूबर २००२ को
 बार कौंसिल द्वारा मुद्रांकित तथा मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदान किया गया।

इलाहाबाद

इस प्रमाण-पत्र के अंगस्वरूप मुद्रांक शुल्क

हेतु रु० ५००/- का मुद्रांक-पत्र एतत्सह संलग्न है।

प्रेम नाथ त्यागी
 (प्रेम नाथ त्यागी)

सचिव

बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश